न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 08 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 269

प्रार्थीया

जेतीदेवी पत्नी वरींगाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–मारूखेड़ा (पमाणा) तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण

सरपंच ग्राम पंचायत पमाणा वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 30.10.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक बेनिवाल उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 06.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा मारूखेड़ा, पटवार हल्का–पमाणा के खेत खसरा नंबर 233, 234, 235, 236 जुमले रकबा 4.47 हैक्टेयर व खसरा नंबर 294, 300, 306, 307, 308 जुमले रकबा 11.01 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 221, 264 से सृजित हुए है आये हुए है। उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 4 के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी आराजी आई हुई है। अपीलाण्ट स्व. वरींगाराम की बेवा धर्म पत्नी होने से अपीलाण्ट स्व. वरींगाराम की जायज वारिशान एवं उतराधिकारी होने से अपीलाण्ट का उपरोक्त खसरा नंबर आराजी में स्व. वरींगाराम की खातदेारी एवं हिस्से की आराजी में अपीलाण्ट का नोशनल शैयर पैदा होने से अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा आया होने से अपीलाण्ट स्व. वरींगाराम की खातेदारी पाने की अधिकारिणी है। अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट को बेदखल करने व उपरोक्त विशेषकर खसरा नंबर 306, 307, 308 जुमले रकबा 5.13 हैक्टेयर की भूमि को आगे बैचान करने पर आमादा है क्योंकि रेस्पोडेण्ट अपने हिस्से से अधिक भूमि नाम होने से का फायदा उठाकर बैचान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ अपीलाण्ट के पक्ष में व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विरूद्व अपील के निर्णय तक इस आशय का स्थगन आदेश जारी फरमावें की अपीलाण्ट के 1/2 हिस्से की भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न अन्य किसी से करावें तथा वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 306, 307, 308 रकबा 5.1300 हैक्टेयर मौजा मारूखेड़ा, पटवार हल्का–पमाणा का मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 04 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मारूखेड़ा, पटवार हल्का–पमाणा के खसरा संख्या 306, 307, 308 जुमले रकबा 5.1300 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर